UPKU010002522017

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या–45/2017

सरकार बनाम श्यामबदन पाल व अन्य।

02.11.2022

अभियुक्तगण श्यामबदन पाल एवं दयानन्द पाल जेरे हिरासत पेश। गवाह अवधकिशोर पर वारण्ट तामिला पूर्ण नहीं। अभियुक्त अनिरूद्ध की पत्रावली विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कमिट होने के संबंध में आख्या पेपर नं० 27 क के अनुसार पत्रावली अभियुक्त अनिरूद्ध की अनुपस्थिति के कारण कमिट नहीं की जा पा रही है।

अभियुक्तगण श्यामबदन पाल व दयानन्द पाल के विरूद्ध आरोप गठन के बाद पत्रावली साक्ष्य पर नियत है एवं वादी मुकदमा का बयान PW–1 के रूप में 21.05.2022 को दर्ज हुआ तथा आदेश दिनांकित 26.05.2022 के द्वारा PW–1 के क्रास का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली अभियुक्तगण के आवेदन बावत PW–1 के क्रास के लिए पुनः तलब किये जाने हेतु नियत है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व तिथि को अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा विथड्रा कर लिया था। अतः PW–1 का क्रास नहीं किया जा सका था।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि PW–1 को अभियुक्तगण के परिवारवालों द्वारा सुलह के लिए दी जा रही धमकी के कारण PW–1 का बयान पुलिस सुरक्षा में करवाया गया था, अतः अभियुक्तगण का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

PW–1 का क्रास अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा नहीं किये जाने का मुख्य कारण अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा विथड्रा करना था।

अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा का जिरह गुण–दोष पर पत्रावली के निस्तारण के लिए अनिवार्य है। अतः अभियुक्तगण का आवेदन वास्ते जिरह PW–1 को तलब किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। PW–1 वास्ते जिरह 07.11.2022 को तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I

कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2022.11.02 15:49:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court